



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2360]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2016/आश्विन 7, 1938

No. 2360]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2016/ ASVINA 7, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2016

का.आ. 3078(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 145 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 892(अ) तारीख 31 मार्च, 2015 को सिवाय उन बातों के, जिनको ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[अधिसूचना सं. 86/2016/फा. सं. 133/23/2015-टीपीएल]

पितम्बर दास, निदेशक (कर नीति और विधान)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2016

का.आ. 3079(अ)—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 145 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी निर्धारितियों (व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिनसे उक्त अधिनियम की धारा 44कख के उपबंधों के अनुसरण में उनके पूर्व वर्ष के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने की अपेक्षा नहीं है), जो लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं, के लिए इस अधिसूचना के उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट आय संगणना और प्रकटन मानकों को, “कारबार या वृत्ति” या “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगी।

उपबंध

क. लेखांकन नीतियों से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक।

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” अथवा “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. यह आय संगणना और प्रकटन मानक महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संबंध में है।

मूलभूत लेखांकन धारणाएं

2. मूलभूत लेखांकन धारणाएं निम्नलिखित हैं, अर्थात:-

(क) चालू समुत्थान

“चालू समुत्थान” उस धारणा के प्रति निर्देश करता है कि व्यक्ति का उसका परिसमापन करने का कोई आशय नहीं है और न ही उसकी आवश्यकता है या कारबार, वृत्ति या व्यवसाय के मापमान को तात्त्विक रूप से कम करने का नहीं है और उसका अपने कारबार, वृत्ति या व्यवसाय को पूर्वानुमेय भविष्य के लिए जारी रखने का आशय है।

(ख) संगति

“संगति” उस धारणा के प्रति निर्देश करता है कि लेखांकन नीतियां एक अवधि से दूसरी अवधि तक संगत हैं।

(ग) प्रोद्भवन

“प्रोद्भवन” उस धारणा के प्रति निर्देश करता है कि राजस्व और लागत उसी रूप में प्रोद्भूत होते हैं अर्थात वे उस पूर्व वर्ष में, जिससे वे संबंधित हैं, उपार्जित या उपगत और अभिलिखित रूप में (न कि प्राप्त या संदत्त धन के रूप में) मान्य हैं।

लेखांकन नीतियां

3. लेखांकन नीतियां किसी व्यक्ति द्वारा अंगीकृत विनिर्दिष्ट लेखांकन सिद्धांतों और उन सिद्धांतों को लागू होने वाली पद्धतियों के प्रति निर्देश करती हैं।

लेखांकन नीतियों के चयन और उनमें परिवर्तन की विचारणाएं

4. किसी व्यक्ति द्वारा अंगीकृत नीतियां वैसी होंगी, जिससे कारबार, वृत्ति या व्यवसाय के सही और ऋजु कार्यकलापों तथा उसकी आय को दर्शाया जा सके। इस प्रयोजन के लिए:-

(i) संव्यवहारों और परिणामों का निरूपण और प्रस्तुतीकरण उनके तात्पर्य से, न कि मात्र उसके विधिक रूप से, शासित होगा: और

(ii) बाजार-हानि हानि के रूप में चिह्नांकित या कोई संभावित तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि ऐसी हानि को मान्य किया जाना किसी आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के अनुसार नहीं है।

5. लेखांकन नीति में युक्तियुक्त कारण के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

लेखांकन नीतियों का प्रकटन

6. किसी व्यक्ति द्वारा अंगीकृत सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को प्रकट किया जाएगा।

7. लेखांकन नीतियों में, जिसका तात्त्विक प्रभाव है, किसी परिवर्तन को प्रकट किया जाएगा। उस परिमाण को भी, जिस तक ऐसे परिवर्तन से किसी मद पर प्रभाव पड़ता है, अभिनिश्चये विस्तार तक प्रकटन किया जाएगा। जहां ऐसा परिमाण पूर्णतः या भागतः अभिनिश्चये नहीं है, वहां उस तथ्य को उपदर्शित किया जाएगा। यदि लेखांकन नीतियों में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाता है, जिसका चालू पूर्व वर्ष के लिए कोई प्रभाव नहीं है बल्कि पश्चात्पूर्व वर्ष में उसका युक्तियुक्त रूप से तात्त्विक प्रभाव पड़ने की संभावना है तो ऐसे परिवर्तन को समुचित रूप से उस पूर्व वर्ष में प्रकट किया जाएगा जिसमें परिवर्तन को अंगीकृत किया जाता है और उसे पूर्व वर्ष में भी प्रकट किया जाएगा, जिसमें ऐसे परिवर्तन का प्रथम बार तात्त्विक प्रभाव होता है।

8. लेखांकन नीतियों का या उसमें के परिवर्तनों के प्रकटन से किसी मद के दोष का या उसके अनुचितनिरूपण का कोई उपचार नहीं हो सकता।

9. यदि चालू समुत्थान, संगति और प्रोद्भवन की मूलभूत लेखांकन धारणाओं का अनुसरण किया जाता है तो विनिर्दिष्ट प्रकटन अपेक्षित नहीं है। यदि मूलभूत लेखांकन धारणाओं का अनुसरण नहीं किया जाता है तो उस तथ्य को प्रकट किया जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध

10. 1 अप्रैल, 2016 का विद्यमान या 1 अप्रैल, 2016 का या उसके पश्चात की गई सभी संविदाओं और संव्यवहारों के संबंध में, 31 मार्च, 2016 को या उसके पूर्व समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए उक्त संविदा या संव्यवहार की बाबत मान्य आय, व्यय या हानि, यदि कोई हो, को हिसाब में लेने के पश्चात इस मानक के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ख. सूचीबद्ध सामग्री के मूल्यांकन से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक।

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” अथवा “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्यति

1. यह आय संगणना और प्रकटन मानक सूचीबद्ध सामग्री के मूल्यांकन को निम्नलिखित के सिवाय लागू होगा।

(क) “सन्निर्माण संविदा” के अधीन, जिसके अंतर्गत ऐसी प्रत्यक्षतः संबंधित सेवा संविदा भी है, जो सन्निर्माण संविदाओं से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक के संबंध में है, उद्भूत प्रगतिशील कार्य

- (ख) ऐसा प्रगतिशील कार्य, जिस पर अन्य आय संगणना और प्रकटन मानक के अनुसार कार्रवाई की जाती है
- (ग) व्यापार स्टॉक में रखे गए ऐसे शेयर, डिबेंचर और अन्य वित्तीय लिखतें, जिन पर प्रतिभूति संबंधी आय संगणना और प्रकटन मानक के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
- (घ) चीजबस्त, कृषि और वनोत्पादों, खनिज तेलों, उपस्करों और गैसों की उस सीमा तक, उन्हें शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाता है, उत्पादक की सूचीबद्ध सामग्री।
- (ङ.) मशीनरी के ऐसे फालतू पुर्जों के संबंध पर, जिनका प्रयोग केवल मूर्त स्थिर आस्ति के संबंध में किया जा सकता है और उनका प्रयोग अनियमित होने की संभावना है, कार्रवाई मूर्त स्थिर आस्तियों से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक के अनुसार की जाएगी।

परिभाषाएं

2. (1) इस आय संगणना और प्रकटन मानक में निम्नलिखित पदों को उनके विनिर्दिष्ट अर्थ रूप में, प्रयुक्त किया गया है

- (क) “सूचीबद्ध सामग्री” ऐसी आस्तियां हैं, जो
- कारबार के सामान्य अनुक्रम में विक्रयार्थ धारण की गई है
 - ऐसे विक्रय के लिए उत्पादन की प्रक्रियाधीन हैं
 - उत्पादन की प्रक्रिया में या सेवाएं प्रदान करने में उपभोग की जाने वाली सामग्रियों और प्रदायों के रूप में हैं।

- (ख) “शुद्ध वसूली योग्य मूल्य” कारबार के सामान्य अनुक्रम में ऐसी प्राक्कलित विक्रय कीमत है, जो कार्य पूरा होने के अनुमानित खर्चों और ऐसे अनुमानित खर्चों को, जो विक्रय करने के लिए आवश्यक हों, कम करके निकली हो।

2. (2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

मापमान

3. सूचीबद्ध सामग्री का मूल्य लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो, लगाया जाएगा।

सूचीबद्ध सामग्री की लागत

4. सूचीबद्ध सामग्री की लागत में क्रय के सभी खर्च, सेवाओं के खर्च, संपरिवर्तन के खर्च और ऐसे अन्य खर्च समाविष्ट होंगे, जो सूचीबद्ध सामग्री को उनके वर्तमान अवस्थान और स्थिति में लाए जाने में उपगत हुए हों।

क्रय के खर्च

5. क्रय के खर्चों में क्रय कीमत, जिसके अंतर्गत शुल्क और कर, आवक भाड़ा और अन्य व्यय भी हैं, जो प्रत्यक्षतः अर्जन के कारण हुए माने जा सकते हैं, समाविष्ट होंगे। क्रय के खर्चों का अवधारण करने में व्यापार- बटों, रिबेटों और वैसी ही अन्य मदों की कटौती की जाएगी।

सेवाओं का खर्च

6. सेवाओं के खर्च में, ऐसे कार्मिकों के जो सीधे सेवा प्रदान करने में लगे हुए हों, जिसमें पर्यवेक्षण कार्मिक भी हैं, श्रम संबंधी और अन्य खर्च तथा उसके संबंध में हुए माने जा सकने वाले ऊपरिखर्च भी समाविष्ट हैं।

संपरिवर्तन के खर्च

7. सूचीबद्ध सामग्री के संपरिवर्तन के खर्चों के अंतर्गत उत्पादन की इकाइयों से प्रत्यक्षतः संबंधित ऐसे खर्च तथा नियम और परिवर्तनशील उत्पादन के पद्धतिबद्ध विभाजन के ऊपरिखर्च आएंगे, जो सामग्री को तैयार माल में संपरिवर्तन करने में उपगत किए जाते हैं। नियत उत्पादन ऊपरिखर्च उत्पादन के वे अप्रत्यक्ष खर्च होंगे, जो उत्पादन के परिमाण को विस्तार में लिए बिना सापेक्ष रूप से स्थिर बने रहते हैं। परिवर्तनीय उत्पादन ऊपरिखर्च उत्पादन के वे अप्रत्यक्ष खर्च होंगे जो प्रत्यक्षतः या निकटतम रूप में प्रत्यक्षतः उत्पादन के परिमाण से न्यूनाधिक होते हैं।

8. संपरिवर्तन के खर्चों में नियत उत्पादन ऊपरिखर्च को सम्मिलित किए जाने के प्रयोजन के लिए उनका विभाजन उत्पादन सुविधाओं की सामान्य क्षमता पर आधारित होगा। सामान्य क्षमता से वह उत्पादन अभिप्रेत है जिसके योजनाबद्ध अनुरक्षण के परिणामस्वरूप क्षमता में कमी को हिसाब में लेते हुए सामान्य परिस्थितियों के अधीन अवधियों या ऋतुओं की औसत संख्या में पूरा किए जाने की संभावना है। उत्पादन के वास्तविक स्तर का प्रयोग तब किया जाएगा जब वह सामान्य क्षमता के सदृश हो। नियत उत्पादन ऊपरिखर्च की रकम में, जिन्हें उत्पादन की प्रत्येक इकाई में विभाजित किया गया है, कम उत्पादन या निष्क्रिय इकाई के परिणामस्वरूप वृद्धि नहीं की जाएगी। विभाजित न किए गए ऊपरिखर्च उस अवधि के, जिसमें वे उपगत किए जाते हैं, खर्च के रूप में मान्य होंगे। अप्रसामान्य रूप से उच्च उत्पादन की अवधियों में, उत्पादन की प्रत्येक इकाई में विभाजित नियत उत्पादन के ऊपरिखर्चों की रकम को कम कर दिया जाता है जिससे कि सूचीबद्ध सामग्री के खर्च से अधिक न मापा जा सके। परिवर्तनीय उत्पादन ऊपरिखर्चों को उत्पादन सुविधाओं के वास्तविक प्रयोग के आधार पर उत्पादन की प्रत्येक इकाई में निर्धारित किया जाएगा।

9. जहां किसी उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ऐसे अधिक उत्पाद एक साथ उत्पादित किए जा रहे हों और प्रत्येक उत्पाद के संपरिवर्तन खर्चों का पृथक् रूप से पता नहीं लगाया जा सकता हो वहां खर्चों को युक्तियुक्त और संगत आधार पर उत्पादों के बीच विभाजित किया जाएगा। जहां उपोत्पाद, स्क्रेप या अपशिष्ट सामग्रियां महत्वहीन हैं वहां उन्हें शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मापा जाएगा और मूल्य की मुख्य उत्पाद की लागत में से कटौती की जाएगी।

अन्य खर्च

10. अन्य खर्चों को सूचीबद्ध सामग्री की लागत में केवल उस सीमा तक सम्मिलित किया जाएगा जिस तक के सूचीबद्ध सामग्रियों को उनके वर्तमान अवस्थान और स्थिति में लाने में उपगत किए जाते हैं।

11. ब्याज और उधार लेने संबंधी अन्य खर्चों को सूचीबद्ध सामग्री के खर्चों में तब तक सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि वे ब्याज को उधार लेने के खर्च संबंधी आय संगणना और प्रकटन मानक में यथा विनिर्दिष्ट लागत के एक संघटक के रूप में मान्य ठहराने के मापदंड को पूरा न करते हों।

सूचीबद्ध सामग्रियों की लागत से अपवर्जन

12. सूचीबद्ध सामग्री की लागत का पैरा 4 से पैरा 11 के अनुसार अवधारण करने में निम्नलिखित खर्चों को अपवर्जित किया जाएगा और उस अवधि के खर्च माना जाएगा, जिसमें वे उपगत किए जाते हैं, अर्थात:-

- (क) अपशिष्ट सामग्रियों, श्रम और अन्य उत्पादन संबंधी खर्चों की अप्रसामान्य रकमें;
- (ख) भंडारण खर्च, जब तक वे खर्च आगे के उत्पादन के प्रक्रम के पूर्व की उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यक न हों
- (ग) प्रशासनिक ऊपरिखर्च, जो सूचीबद्ध सामग्री को उसके वर्तमान अवस्थान और स्थिति में लाने में न किए गए हों
- (घ) विक्रय संबंध खर्च।

लागत सूत्र

13. मदों की सूची की लागत

- (i) उन मदों की, जो साधारणतया परस्पर आदान-प्रदानशील नहीं हैं और
- (ii) विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए उत्पादित और पृथक्कृत माल या सेवाओं की सूचीबद्ध सामग्री की लागत उनके व्यक्तिगत खर्चों की विनिर्दिष्ट पहचान से समनुदिष्ट की जाएगी।

14. “लागत की विनिर्दिष्ट पहचान” से वे विनिर्दिष्ट खर्च अभिप्रेत हैं जो सूचीबद्ध सामग्री की पहचान की गई मदों के प्रति हुए पाए गए हैं।
15. जहां सूचीबद्ध सामग्री की ऐसी अनेक मदें हैं जो साधारणतया परस्पर आदान-प्रदानशील हैं, वहां खर्चों की विनिर्दिष्ट पहचान नहीं की जाएगी।

प्रथम आवक प्रथम जावक तथा भारित औसत लागत सूत्र

16. उस सूचीबद्ध सामग्री से, जिसके संबंध में पैरा 13 में उल्लेख है, भिन्न सूचीबद्ध सामग्री की लागत प्रथम आवक प्रथम जावक तथा भारित औसत लागत सूत्र का प्रयोग करके समनुदिष्ट की जाएगी। जिस सूत्र का प्रयोग किया गया है वहां सूचीबद्ध सामग्री की मदों को उनके वर्तमान अवस्थान और स्थिति में लाने में उपगत खर्च का सुस्पष्ट संभाव्य अनुमान को दर्शाता है।
17. प्रथम आवक प्रथम जावक सूत्र से यह उपधारित होता है कि सूचीबद्ध सामग्री की वे मदें, जो प्रथमतः क्रय या उत्पादित की गई हैं, प्रथमतः उपभोग या विक्रीत की जाती हैं और तत्पश्चात् उस अवधि के अंत में सूची में शेष रह गई मदें वे हैं जो अभी हाल ही में क्रय या उत्पादित की गई हैं। भारित औसत लागत सूत्र के अधीन प्रत्येक मद की लागत का अवधारण किसी अवधि के आरंभ में वैसी ही मदों की लागत और उस अवधि के दौरान क्रय की गई या उत्पादित वैसी ही मदों की लागत के भारित औसत के आधार पर किया जाएगा। उस औसत का परिकलन, अवधिक या जैसे ही भेजी गई प्रत्येक अतिरिक्त सामग्री प्राप्त होती है, आधार पर परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, किया जाएगा।

लागत मापने की तकनीक

18. (1) मालसूची की लागत मापने की तकनीक जैसे कि मानक लागत विधि, या खुदरा विधि का प्रयोग तब सुविधानुसार किया जा सकता है जब परिणाम वास्तविक लागत के लगभग आता है। मानक लागत में वस्तु की खपत एवं आपूर्ति, श्रम, क्षमता और शक्ति के उपयोग के सामान्य स्तर पर ध्यान दिया गया होता है। इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और यदि वर्तमान परिस्थितियों के कारण जरूरी होता है तो आगे संशोधन भी किया जाता है।
18. (2) खुदरा पद्धति का प्रयोग खुदरा व्यापार में तेजी से बदलने वाली उन मदों की लंबी मालसूची का मापन करने में प्रयोग किया जा सकता है जिनका लाभांश भी इसी प्रकार हो और जिसके लिए लागत की अन्य विधियों का प्रयोग संभव न हो। माल सूची के लागत की गणना इसके विक्री मूल्य में से यथोचित प्रतिशत सकल लाभांश को घटाकर किया जाता है। इस प्रकार प्रयोग किए गये प्रतिशत में मालसूची पर भी विचार किया जाता है जिसे इसके मूल विक्री मूल्य से नीचे रखा जाता है। प्रत्येक खुदरा विभाग के लिए औसत प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य

19. सूचीबद्ध सामग्री के मूल्य को मद-वार-मद आधार पर उसके शुद्ध वसूली योग्य मूल्य तक अवलिखित किया जाएगा। जहां उसी उत्पाद पंक्ति से संबंधित “सूचीबद्ध सामग्री की मदों” के वही प्रयोजन और अंत्य उपयोग हैं और जिनका भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन और विपणन किया जाता है और जिनका व्यवहार्य रूप से उसी उत्पाद पंक्ति की अन्य मदों से पृथक्कृत्य मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, वहां ऐसी सूचीबद्ध सामग्रियों को एक साथ सामूहित किया जाएगा और उसे संकलित आधार पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य तक अवलिखित किया जाएगा।

20. शुद्ध वसूली योग्य मूल्य मूल्यांकन के समय उपलब्ध अति विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होगा। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के प्राक्कलनों में उस प्रयोजन को भी विचार में लिया जाएगा, जिसके लिए सूचीबद्ध सामग्री धारित की गई है। प्राक्कलनों में कीमत के उन उतार-चढ़ावों को या पूर्व वर्ष की समाप्ति के पश्चात् होने वाली घटनाओं से प्रत्यक्षतः संबंधित लागत को उस सीमा तक, जहां तक उन घटनाओं से पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को विद्यमान स्थितियों की पुष्टि होती है, विचार में लिया जाएगा।

21. सूचीबद्ध सामग्री के उत्पादन के प्रयोग के लिए धारित की गई सामग्रियों और अन्य प्रदायों को लागत से नीचे वहां अवलिखित नहीं किया जाएगा, जहां उन तैयार उत्पादों को, जिनमें उन्हें सम्मिलित किया गया है, लागत मूल्य पर या लागत से अधिक मूल्य पर विक्रीत किए जाने की संभावना है। जहां सामग्रियों की कीमत में कमी आई है और यह अनुमानित है कि

तैयार उत्पादों की लागत शुद्ध वसूली योग्य मूल से अधिक जाएगी, वहां सामग्रियों की लागत को उस शुद्ध वसूली योग्य मूल्य तक अवलिखित किया जाएगा, जो कि उन सामग्रियों की प्रतिस्थानी लागत होगी।

आरंभिक सूचीबद्ध सामग्री का मूल्य

22. पूर्व वर्ष के आरंभ पर सूचीबद्ध सामग्री का मूल्य

- (i) कारबार के प्रारंभ के दिन को, जब कारबार पूर्व वर्ष के दौरान प्रारंभ हुआ है, उपलब्ध सूचीबद्ध सामग्री, यदि कोई हो, की लागत होगा
- (ii) किसी अन्य दशा में, ठीक पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के समाप्त होने पर सूचीबद्ध सामग्री का मूल्य होगा।

सूचीबद्धमाल के मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन

23. किसी व्यक्ति द्वारा किसी पूर्व वर्ष में अंगीकृत सूचीबद्ध सामग्रियों के मूल्यांकन की पद्धति में युक्तियुक्त कारण के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

कतिपय विघटनों की दशा में सूचीबद्ध सामग्री का मूल्यांकन

24. किसी फर्म या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय के विघटन की दशा में, इस बात के होते हुए भी कि कारबार बंद हुआ है अथवा नहीं, विघटन की तारीख को सूचीबद्ध सामग्री का मूल्य शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर लगाया जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध

25. ब्याज और अन्य उधार लेने संबंधी खर्च का, जो ब्याज को, पैरा 11 के अनुसार, लागत के एक संघटक के रूप में मान्य करने के मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, किंतु जिन्हें 1 अप्रैल, 2016 को आरंभिक सूचीबद्ध सामग्री की लागत में सम्मिलित किया गया है, 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात आरंभ होने वाले पूर्व वर्ष की समाप्ति पर मूल्यांकन के लिए ऐसी सूचीबद्ध सामग्री की लागत का अवधारण करने में हिसाब में लिया जाएगा, यदि ऐसी सूचीबद्ध सामग्री 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात आरंभ होने वाले पूर्व वर्ष की समाप्ति पर सूचीबद्ध सामग्री का भाग बनी रहती है।

प्रकटन

26. निम्नलिखित पहलुओं को प्रकट किया जाएगा, अर्थात:-

(क) सूचीबद्ध सामग्रियों को जिनके अंतर्गत प्रयुक्त सूत्र की लागत भी है, मापने में अंगीकृत लेखांकन नीतियां। जहां लागत के पैमाने के रूप में मानक लागत का प्रयोग किया गया है, ऐसी सूचीबद्ध सामग्री का ब्यौरा और इस तथ्य की पूर्ण की मानक लागत वास्तविक लागत के बराबर है; और

(ख) सूचीबद्ध सामग्रियों की कुल धारित रकम और किसी व्यक्ति के प्रति उनके समुचित वर्गीकरण।

ग. सन्निर्माण संविदाओं से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक।

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” अथवा “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. यह आय संगणना और प्रकटन मानक किसी संविदाकार की सन्निर्माण संविदा के लिए आय का अवधारण करने में लागू किया जाना चाहिए।

परिभाषाएं

2. (1) इस आय संगणना और प्रकटन मानक में निम्नलिखित पद, उनके विनिर्दिष्ट अर्थ रूप में, प्रयुक्त किए गए हैं:

(क) 'सन्निर्माण संविदा' एक ऐसी संविदा है, जो ऐसी किसी आस्ति या ऐसी आस्तियों के समुच्चय के सन्निर्माण के लिए, जो उनके डिजाइन, प्रौद्योगिकी और कृत्य या उनके अंतिम प्रयोजन या प्रयोग के निबंधनों के अनुसार निकटतम रूप से अंतरसंबद्ध या अंतर निर्भर है, विनिर्दिष्ट रूप से बातचीत से तय की जाती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है:

(i) उन सेवाओं को, जो प्रत्यक्षतः आस्ति के सन्निर्माण से संबंधित हैं, उदाहरणार्थ परियोजना प्रबंधकों और वास्तुविदों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए संविदा;

(ii) आस्तियों को नष्ट करने या उन्हें प्रत्यावर्तित करने के लिए तथा आस्तियों को ध्वंसित करने के बाद पर्यावरण के पुनःस्थापना के लिए संविदा;

(ख) 'नियत कीमत संविदा' ऐसी सन्निर्माण संविदा में है जिसमें संविदाकारक नियत संविदा कीमत के लिए या उत्पादन की प्रति इकाई नियत दर पर करार करता है, जो लागत वृद्धि खंडों के अध्यक्षीन हो सकेगी;

(ग) 'लागत धन संविदा' ऐसी सन्निर्माण संविदा है जिसमें संविदाकार की अनुज्ञेय या अन्य निश्चित खर्चों के लिए धन इन खर्चों या किसी नियत फीस पर अधिक मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी;

(घ) 'प्रतिधारण' प्रक्रमण बिलों में की वे रकमें हैं, जिनका संदाय ऐसी रकमों के संदाय से संबंधित संविदा में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने तक या त्रुटियों को सुधारे जाने तक नहीं कर दिया जाता है;

(ङ) प्रक्रमण बिल वे रकमें हैं जिनका किसी संविदा पर किए गए कार्य के लिए बिल बनाया गया है, चाहे ग्राहक द्वारा उसका संदाय किया गया है अथवा नहीं;

(च) 'अग्रिम' वे रकमें हैं जो संविदाकर द्वारा कार्य के किए जाने के पूर्व प्राप्त की जाती हैं।

2.(2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

3. सन्निर्माण संविदा किसी एकल आस्ति के सन्निर्माण के लिए बातचीत द्वारा तय की जा सकेगी। सन्निर्माण संविदा उन अनेक आस्तियों के सन्निर्माण के लिए भी हो सकेगी जो उनके डिजाइन, प्रौद्योगिकी और कृत्य या उनके अंतिम प्रयोजन या प्रयोग के निबंधनों के अनुसार निकटतम रूप से अंतरसंबद्ध या अंतरनिर्भर हैं।

4. सन्निर्माण संविदाएं अनेक प्रकार से विरचित की जाती हैं, जिन्हें, इस आय संगणना और प्रकटन मानक के प्रयोजनों के लिए, नियत कीमत संविदाओं और लागत धन संविदाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ सन्निर्माण संविदाओं में नियत कीमत संविदा और लागत धन संविदा, उदाहरणार्थ लागत धन संविदा में करार पाई गई अधिकतम कीमत, दोनों ही विशिष्टताएं अंतर्विष्ट हो सकती हैं।

सन्निर्माण संविदाओं का संयोजन या विच्छेदन

5. इस आय संगणना और प्रकटन मानक की अपेक्षाओं को प्रत्येक सन्निर्माण संविदा के प्रति सिवाय उस दशा के जैस इसमें के पैरा 6, पैरा 7 और पैरा 8 में उपबंधित है, पृथक्ता लागू किया जाएगा। किसी संविदा या संविदाओं के समूह के सार को प्रतिबिम्बित करने के लिए, जहां यह आवश्यक हो, आय संगणना और प्रकटन मानक को एकल संविदा या संविदाओं के समूह के एक साथ पृथक्तया पहचान योग्य संघटकों के प्रति लागू किया जाना चाहिए।

6. जहां किसी संविदा में अनेक आस्तियां सम्मिलित हों, वहां प्रत्येक आस्ति के सन्निर्माण को तब पृथक् सन्निर्माण संविदा माना जाना चाहिए, जब:-

- (क) प्रत्येक आस्ति के लिए पृथक प्रस्थापनाएं प्रस्तुत की गई हों;
- (ख) प्रत्येक आस्ति पृथक बातचीत के अधीन तय की गई हो और संविदाकार तथा ग्राहक ऐसी प्रत्येक आस्ति से संबंधित संविदा को स्वीकार करने या उसे नामंजूर करने में समर्थ हो; और
- (ग) प्रत्येक आस्ति के खर्चों और आमदनियों का पता लगाया जा सकता है।

7. संविदाओं के समूह को, चाहे वह एकल ग्राहक के साथ की गई हो या अनेक ग्राहकों के साथ की गई हो, एकल सन्निर्माण संविदा तब माना जाना चाहिए, जब:-

- (क) संविदाओं के समूह को, एकल पैकेज के रूप में बातचीत द्वारा तय किया जा सकता हो;
- (ख) संविदाएं निकटतम रूप से इतनी अंतरसंबद्ध हों कि वे वस्तुतः एकल परियोजना का, समग्र मार्जिन सहित, भाग हो; और
- (ग) संविदाओं को समवर्ती रूप से या सतत् अनुक्रम में किया जाता है।

8. जब किसी संविदा में ग्राहक के विकल्प पर किसी अतिरिक्त आस्ति के सन्निर्माण का उपबंध है जहां उसका किसी अतिरिक्त आस्ति के सन्निर्माण को सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया जाता है, वहां अतिरिक्त आस्ति के सन्निर्माण को एक पृथक सन्निर्माण आस्ति तब माना जाना चाहिए जब-

- (क) वह आस्ति मूल संविदा में सम्मिलित आस्ति या आस्तियों से डिजाइन, प्रौद्योगिकी या में, महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो; या
- (ख) आस्ति की कीमत को, मूल संविदा कीमत को विचार में लिए बिना बातचीत द्वारा तय किया जा सकता हो।

संविदा आमदनी

9. संविदा आमदनी को तब मान्य किया जाएगा जब उसके अंतिम संग्रहण की युक्तियुक्त निश्चितता हो।

10. संविदा आमदनी में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:-

- (क) संविदा में करार पाई गई आमदनी की आरंभिक रकम, जिसके अंतर्गत प्रतिधारण भी हैं; और
- (ख) संविदा कार्य, दावों और प्रोत्साहन संबंधी संदायों में:-
 - (i) उस सीमा तक घट-बढ़, कि इस बात की अधिसंभावना है कि उसके परिणामस्वरूप आमदनी होगी; और
 - (ii) ऐसी घट-बढ़ को विश्वसनीय रूप में मापा जा सकता हो।

11. जहां संविदा आमदनी को, जिसे पहले से आय के रूप में मान्य किया गया है, बाद में लेखाबहियों से इस रूप में अवलिखित कर दिया जाता है कि वे असंग्रहणीय हैं, वहां उसे खर्च के रूप में मान्य किया जाएगा, न कि संविदा आमदनी की रकम के समायोजन के रूप में।

संविदा खर्च

12. संविदा खर्च में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे,

- (क) वे खर्च, जो प्रत्यक्ष रूप से विनिर्दिष्ट संविदा से संबंधित हैं
- (ख) वे खर्च, जो साधारणतया संविदा के क्रियाकलाप के कारण हुए माने जा सकते हैं और जिन्हें संविदा के प्रति विभाजित किया जा सकता है।
- (ग) ऐसे अन्य खर्च जो विनिर्दिष्ट रूप से संविदा के निबंधनों के अधीन ग्राहक से प्रभार्य हैं, और
- (घ) उधार लेने संबंधी खर्चों से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक के अनुसार उधार लेने संबंधी विभाजित खर्च।

इस खर्चों को किसी आनुषंगिक आय से, जो उस ब्याज, उन लाभान्शों या पूंजी अभिलाभों की प्रकृति की नहीं है और जो संविदा आमदनी में सम्मिलित नहीं की गई है, कम किया जाएगा।

13. ऐसे खर्चों को, जिन्हें किसी संविदा क्रियाकलाप के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है या जिन्हें किसी संविदा के संबंध में विभाजित नहीं किया जा सकता है, सन्निमार्ण संविदा के खर्चों से अपवर्जित किया जाएगा।

14. संविदा खर्चों के अंतर्गत संविदा प्राप्त करने की तारीख से उस संविदा के पूरा होने तक की अवधि के लिए किसी संविदा के कारण हुए माने जा सकने वाले खर्च भी आते हैं। वे खर्च भी, जो संविदा प्राप्त करने में उपगत किए जाते हैं, संविदा के खर्चों के भागरूप सम्मिलित किए जाते हैं, परंतु यह तब जब कि-

(क) उसका पृथक् रूप से पता लगाया जा सकता हो; और

(ख) इस बात की अधिसंभावना हो कि संविदा अभिप्राप्त कर ली जाएगी।

जब किसी संविदा को प्राप्त करने में उपगत खर्च, उस अवधि में, जिसमें वे उपगत किए जाते हैं, किसी व्यय के रूप में मान्य हैं तो उन्हें संविदा खर्चों में तब सम्मिलित नहीं किया जाता है जब संविदा किसी पश्चातवर्ती अवधि में अभिप्राप्त की जाती है।

15. संविदा के वे खर्च, जो संविदा में के भावी क्रियाकलाप से संबंधित हों, आस्ति के रूप में मान्य हैं। ऐसे खर्च से ऐसी रकम निरूपित होती है जो ग्राहक से शोध्य है और जिन्हें प्रगतिशील संविदा कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संविदा आमदनी और व्ययों की मान्यता

16. संविदा आमदनी और संविदा खर्च, जो सन्निमार्ण संविदा से जुड़े हुए हों, रिपोर्ट किए जाने की तारीख को संविदा क्रियाकलाप के पूरा होने के प्रति क्रमशः निर्देश करके आमदनी और व्ययों के रूप में मान्य किए जाने चाहिए।

17. किसी संविदा के पूरा होने के प्रक्रम के प्रति निर्देश से आमदनी और व्ययों की मान्यता को कार्य पूरा होने की पद्धति की प्रतिशतता के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। इस पद्धति के अधीन संविदा आमदनी को कार्य पूरा होने के प्रक्रम पर पहुंचने में उपगत संविदा खर्चों से जोड़ा जाता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी आमदनी, व्ययों और लाभ का पता चलता है जिसे कि पूरे हो गए कार्य के अनुपात के कारण हुआ माना जा सकता है।

18. किसी संविदा के पूरा होने के प्रक्रम का अवधारण-

(क) उस अनुपात के प्रति निर्देश करके किया जाएगा कि रिपोर्ट किए जाने की तारीख तक किए गए कार्य के लिए उपगत संविदा खर्च अनुमानित कुल संविदा खर्च के संबंधित है; या

(ख) किए गए कार्य के सर्वेक्षण के प्रति प्रतिनिर्देश करके किया जाएगा; या

(ग) संविदा संकर्म के वास्तविक अनुपात के पूरा होने के प्रति निर्देश करके किया जाएगा।

ग्राहक से प्राप्त प्रगति-संदाय और अग्रिम किसी संविदा के पूरा होने के प्रक्रम के अवधारक नहीं हो सकते हैं।

19. जब संविदा के पूरा होने के प्रक्रम को रिपोर्ट किए जाने की तारीख तक उपगत संविदा खर्चों के प्रति निर्देश करके अवधारित किया जाता है, तो केवल उन्हीं संविदा खर्चों को, जो किए गए कार्य को प्रतिबिंबित करते हैं, रिपोर्ट किए जाने की तारीख तक उपगत खर्चों में सम्मिलित किया जाता है। वे संविदा खर्च, जिन्हें अपवर्जित किया जाता है निम्नलिखित हैं-

(क) संविदा खर्च जो संविदा के संबंध में भावी क्रियाकलाप के संबंध में हैं; या

(ख) उप संविदा के अधीन किए गए कार्य के लिए अग्रिम में उप संविदाकारों के किए गए संदाय।

20. किसी संविदा के आरंभिक प्रक्रमों के दौरान, जहां संविदा के परिणाम का प्राक्कलन विश्वसनीय रूप से नहीं किया जा सकता, संविदा आमदनी केवल उपगत खर्चों की सीमा तक मान्य होती है। किसी संविदा के आरंभिक प्रक्रम को कार्य पूरा होने के प्रक्रम के पच्चीस प्रतिशत से परे नहीं बढ़ाया जाएगा।

प्राक्कलनों में परिवर्तन

21. कार्य पूरा होने की पद्धति की प्रतिशतता प्रत्येक पूर्व वर्ष में संविदा आमदनी के वर्तमान प्राक्कलनों और संविदा खर्चों को संचयी आधार पर लागू किया जाता है। जहां प्राक्कलनों में कोई परिवर्तन है तो परिवर्तित प्राक्कलनों का उस अवधि में, जिसमें परिवर्तन किया जाता है, और पश्चातवर्ती अवधियों में आमदनी और व्ययों की रकम का अवधारण करने में प्रयोग किया जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध

22.(1) संविदा आमदनी एवं संविदा खर्च, जो निर्माण संविदा से जुड़े हुए हैं, जो 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद प्रारंभ हुए हैं, वे इस मानक उपबंधों के अनुसार मान्य होंगे।

22.(2) वह संविदा आमदनी एवं संविदा खर्च जो विनिर्माण संविदा से जुड़े हुए हैं जो 31 मार्च, 2016 को या उसके पहले प्रारंभ हुए हैं। किंतु उक्त तारीख तक पूरे नहीं हुए वे 1 अप्रैल, 2016 को किंतु उक्त तारीख तक पूरे नहीं हुए वे 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष से पहले उस व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से अनुपालन की गई पद्धति के आधार पर मान्य होंगे।

प्रकटन

23. कोई व्यक्ति-प्रकट करेगा

- (क) उस संविदा आमदनी को, जो उस अवधि में आमदनी के रूप में मान्य है, की रकम को; और
- (ख) प्रगतिशील संविदाओं के पूरा होने के प्रक्रम का अवधारण करने में प्रयुक्त पद्धतियों को, प्रकट करेगा।

24. कोई व्यक्ति रिपोर्ट किए जाने की तारीख को प्रगतिशील संविदाओं के लिए निम्नलिखित का प्रकटन करेगा, अर्थात्:-

- (क) उपगत खर्चों की तथा रिपोर्ट किए जाने की तारीख कम मान्य लाभों की (मान्य हानियों कम करके) रकम;
- (ख) प्राप्त अग्रिमों की रकम; और
- (ग) प्रतिधारणों की रकम।

घ. आमदनी मान्यता से संबंधित आय-संगणना और प्रकटन मानक IV

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकट मानक "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" अथावा "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961(अधिनियम) और इस आय संगणना और प्रकट मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. (1) आय संगणना और प्रकटन मानक किसी व्यक्ति को,--

- (i) माल विक्रय से;
- (ii) सेवाओं के प्रदान किए जाने से;

iii) व्यक्ति के संसाधनों का अन्यो द्वारा उपयोग किए जाने से, जिससे ब्याज, स्वामित्व या लाभांश प्राप्त होता है,

सामान्य क्रियाकलापों के अनुक्रम में उद्भूत आमदनी मान्यता के आधारों के संबंध में है।

1.(2) यह आय संगणना और प्रकटन मानक उस आमदनी मान्यता के पहलुओं से संबंधित नहीं है जिनके संबंध में अन्य आय संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

परिभाषाएं

2.(1) आय संगणना और प्रकटन मानक में निम्नलिखित पद, उसके विनिर्दिष्ट अर्थ रूप में, प्रयुक्त किए गए हैं-

(क) 'आमदनी' किसी व्यक्ति के माल के विक्रय से, सेवाएं प्रदान करने से या उस व्यक्ति के उन संसाधनों का जिनसे ब्याज, स्वामित्व या लाभांश प्राप्त होते हैं, अन्यो द्वारा प्रयोग किए जाने से सामान्य क्रियाकलापों के अनुक्रम में उद्भूत नकदी, प्राप्त राशियों या अन्य प्रतिफल का सकल प्रवाह है। किसी अभिकरण नातेदारी में आमदनी कमीशन की न कि नकदी, प्राप्त राशियों या अन्तः प्रतिफल के सकल प्रवाह की रकम है।

2.(2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

माल विक्रय

3. माल के विक्रय से संबंधित कोई संव्यवहार आमदनी तब मान्य होगी जब माल के विक्रेता ने माल में की संपत्ति को एक कीमत के लिए अंतरित कर दिया हो या स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और इनामों को क्रेता को अंतरित कर दिया हो और विक्रेता अंतरित माल का उस डिग्री तक जो प्रायः स्वामित्व से जुड़ी हुई है, कोई प्रभावी नियंत्रण प्रतिधारित नहीं करता हो। ऐसी स्थिति में, जहां माल में की संपत्ति का अंतरण और स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों और इनामों को अंतरण एक साथ नहीं होता है, वहां आमदनी ऐसी स्थिति में स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों और इनामों का क्रेता को अंतरण किए जाने के समय मान्य होगी।

4. आमदनी तब मान्य होगी जब उसके अंतिम संग्रहण की युक्तियुक्त निश्चितता हो।

5. जहां कीमत में और निर्यात प्रोत्साहनों में वृद्धि किए जाने का कोई दावा किए जाने के समय युक्तियुक्त निश्चितता के साथ अंतिम संग्रहण का निर्धारण करने के सामर्थ्य का अभाव है वहां ऐसे दावे के संबंध में आमदनी के मान्य किए जाने को उस अंतर्वर्तित अनिश्चितता की सीमा तक मुलतवी कर दिया जाएगा।

सेवाएं प्रदान करना

6. पैरा 7 के अध्याधीन सेवा संबंधी संव्यवहारों से आमदनी प्रतिशतता संपूर्ण पद्धति द्वारा मान्य होगी। इस पद्धति के अधीन सेवा संव्यवहार से आमदनी को कार्य पूरा होने के प्रक्रम पर पहुँचने में उपगत सेवा संव्यवहार खर्चों के समय जोड़ा जाता है जिसके परिणामस्वरूप उस आमदनी, व्ययों और लाभ का, जिसे संपूरित कार्य के अनुपात को कारण हुआ माना जा सकता है, निर्धारण होता है। सन्निर्माण संविदा संबंधी आय की संगणना और प्रकटन मानक में इस आधार पर राजस्व को मान्य करना भी अपेक्षित है। उस मानक की अपेक्षाएं हैं। उस मानक की अपेक्षाएं आवश्यक परिवर्तनों सहित आमदनी और किसी सेवा संव्यवहार से जुड़े व्ययों की मान्यता पर लागू होंगी। तथापि जब कभी ये सेवाएं किसी विशिष्ट अवधि में कृत्यों की अनिर्धारित संख्या द्वारा प्रदान की जाती है तो राजस्व का निर्धारण, किसी विशिष्ट अवधि के लिए स्पष्ट रेखा आधार पर किया जाएगा।

7. सेवा संविदाओं से आमदनी को 90 दिन की अवधि से अधिक मान्यता तब तक न दी जाए जब तक कि इस संविदा के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करना पूर्ण अथवा वास्तविक रूप से पूर्ण न हो।

ब्याज, स्वामित्व या लाभांश प्राप्त करने के संसाधनों का अन्यो द्वारा उपयोग

8(1). उप पैराग्राफ (2) के अध्याधीन, ब्याज उस समय के आधार पर प्रोदभूत होगा जो बकाया रकम और लागू दर के आधार पर अवधारित किया जाएगा।

- (2) किसी कर, शुल्क उपकर के रिफंड पर व्याज पूर्व वर्ष की आय माना जाएगा जिस वर्ष में ऐसा व्याज प्राप्त हुआ था।
- (3) धारित ऋण प्रतिभूतियों पर बट्टे या प्रीमियम को इस रूप में माना जाएगा कि मानों कि व परिपक्व होने की अवधि पर प्रोदभूत न हो।
9. स्वामित्व सुसंगत करार के निबंधनों के अनुसार प्रोदभूत होंगे और तब तक उस आधार पर मान्य होंगे जब तक कि संव्यवहार के सारतत्व को ध्यान में रखने हुए अन्य पद्धतिबद्ध और युक्तिबद्ध और युक्तिसंगत आधार पर आमदनी का मान्य करना अति उपयुक्त न हो।
10. लाभाशों को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मान्य किया जाता है।

संक्रमणकालीन उपबंध

11. सन्निर्माण संविदा संबंधी आय संगणना और प्रकटन मानक आवश्यक परिवर्तनों सहित 31 मार्च, 2016 को या उसके पूर्व आरंभ किए गए किंतु उक्त तारीख तक पूरे न हुए सेवा संव्यवहार के लिए आमदनी और उससे जुड़े खर्चों को मान्य करने के लिए लागू होगा।
12. पैरा 10 में निर्दिष्ट सेवा संव्यवहार से भिन्न किसी संव्यवहार से, जो 31 मार्च, 2016 को आरंभ किया गया हो किंतु उक्त तारीख तक पूरा न हुआ हो, आमदनी को इस मानक के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष के लिए और पश्चातवर्ती पूर्व वर्ष के लिए मान्य किया जाएगा। उक्त संव्यवहार के लिए 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त आमदनी की रकम को, यदि कोई हो, 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष और पश्चातवर्ती पूर्व वर्षों के लिए उक्त संव्यवहार के लिए आमदनी को मान्य करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

प्रकट

13. राजस्व मान्यता के संबंध में निम्नलिखित प्रकटन अर्थात्:-
- (क) माल के विक्रय में अंतर्वलित किसी संव्यवहार में, उसके अंतिम संग्रहण की युक्तियुक्त निश्चितता के अभाव के कारण, पूर्व वर्ष के दौरान आमदनी के रूप में मान्य न की गई कुल रकम का, अनिश्चितता की प्रकृति सहित;
- (ख) पूर्व वर्ष के दौरान आमदनी के रूप में मान्य किए गए सेवा संव्यवहारों से आमदनी की रकम का;
- (ग) प्रगतिशील सेवा संव्यवहारों के पूरा होने के प्रक्रम का अवधारण करने के लिए प्रयुक्त की गई पद्धति का; और
- (घ) पूर्व वर्ष के अंत में प्रगतिशील संव्यवहारों के संबंध में-
- (i) प्राप्त अग्रिमों की रकम का; और
- (ii) प्राप्त अग्रिमों की रकम का; और
- (iii) प्रतिधारणों की रकम का,

प्रकटन किया जाएगा।

ड. मूर्त स्थिर आस्तियों से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक V

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक 'कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' अथवा 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961(अधिनियम) और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. आय संगणना और प्रकटन मानक मूर्त स्थिर आस्तियों के रिरूपण के बारे में है।

परिभाषाएं

2 (1) इस आय संगणना और प्रकटन मानक में निम्नलिखित व्ययों को, उनके विनिर्दिष्ट अर्थ रूप रूप में, प्रयुक्त किया गया है;

(क) 'मूर्त स्थिर आस्ति' ऐसी आस्ति है जो भूमि, भवन, मशीनरी संयंत्र या फर्नीचर हो और जो माल के उत्पादन और संवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने के आशय से धारित की गई है और कारबार के सामान्य अनुक्रम में विक्रय के लिए धारित नहीं की गयी है।

(ख) किसी आस्ति का 'उचित मूल्य' वह रकम है जिसके लिए उस आस्ति का सुपरिचित, इच्छुक पक्षकारों के बीच किए आसन्न निकट संव्यवहार में विनिमय किया जा सकता है।

2. (2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, कि किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

मूर्त स्थिर आस्तियों की पहचान

3. पैरा 2 के उपपैरा (1) के खंड (क) की परिभाषा में इस बात का अवधारण करने के मापदंड का उपबंध किया गया है कि क्या किसी मद को मूर्त स्थिर आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

4. अतिरिक्त उपस्कर और सर्विस करने संबंधी उपस्कर को पूंजीकृत किया जाना चाहिए। मशीनरी के फालतू पुर्जों का, जब कभी उपयोगी किया जाए, आमदनी के प्रति भारित किया जाएगा। जब ऐसे फालतू पुर्जों का केवल मूर्त स्थिर आस्ति की मद के संबंध में प्रयोग किया जा सकता हो और उनका प्रयोग नियमित होने की संभावना हो तो उन्हें पूंजीगत किया जाएगा।

वास्तविक लागत के संघटक

5. किसी मूर्त स्थिर आस्ति की वास्तविक लागत में उसकी विक्रय कीमत, आयात शुल्क और अन्य कर, उनको छोड़कर जो बाद में वसूली योग्य हों, और आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने पर प्रत्यक्ष रूप से हुआ माने जा सकने वाला कोई व्यय समाविष्ट होगा। वास्तविक लागत निकालने में किंही व्यापार बट्टों और रिबटों की कटौती की जाएगी।

6. किसी मूर्त स्थिर आस्ति की लागत में उसके अर्जन या सन्निर्माण के पश्चात-

(i) कीमत समायोजन, शुल्क में परिवर्तन या वैसे ही कारकों के कारण; या

(ii) विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तनों के प्रभावों पर आय संगणना और प्रकटन मानक में यथाविनिर्दिष्ट विनियम में उतार-चढ़ाव के कारण, परिवर्तन किए जा सकते हैं।

7. प्रशासनिक और अन्य सामान्य उपरिखर्चों को मूर्त स्थिर आस्तियों की लागत से उपवर्जित किया जाना होगा, यदि वे किसी विनिर्दिष्ट मूर्त स्थिर आस्ति से संबंधित नहीं हैं। उन व्ययों को, जो विनिर्दिष्ट रूप से किसी परियोजना के सन्निर्माण या किसी मूर्त स्थिर आस्ति के अर्जन या उसे चालू स्थिति में लाने के कारण हुए माने जा सकते हैं, परियोजना की लागत के भागरूप या मूर्त स्थिर आस्ति की लागत के भागरूप सम्मिलित किया जाएगा।

8. परियोजना के आरंभ किए जाने और चालू किए जाने में उपगत व्यय, जिसके अंतर्गत जांच के लिए चलाने और प्रायोगिक उत्पादन पर उपगत व्यय भी है, को पूंजीगत किया जाएगा। संयंत्र के वाणिज्यिक उत्पादन अर्थात् विक्रय या बेहतर उपयोग के लिए आशयित उत्पादन आरंभ करने के पश्चात उपगत व्यय को आमदनी व्यय माना जाएगा।

स्व-निर्मित मूर्त स्थिर आस्तियां

9. स्वनिर्मित मूर्त स्थिर आस्तियों की वास्तविक लागत निकालने में, वहीं सिद्धांत लागू होंगे जो पैरा 5 से पैरा 8 में वर्णित हैं। सन्निर्माण की लागत, जो प्रत्यक्ष रूप से विनिर्दिष्ट मूर्त स्थिर आस्ति से संबंधित है, और वे खर्च जो साधारणतया सन्निर्माण क्रियाकलाप के कारण हुए माने जा सकते हैं और जिन्हें विनिर्दिष्ट मूर्त स्थिर आस्ति के प्रति विभाजित किया जा सकता है, वास्तविक लागत में सम्मिलित किए जाएंगे। किंहीं आंतरिक लाभों को ऐसे खर्च निकालने में अलग कर दिया जाएगा।

गैर-धनीय प्रतिफल

10. जब किसी मूर्त स्थिर आस्ति को किसी अन्य आस्ति के लिए अदला-बदली में अर्जित किया जाता है, तब इस प्रकार अर्जित मूर्त स्थिर आस्ति का उचित मूल्य उसकी वास्तविक लागत होगा।

11. जब किसी मूर्त स्थिर आस्ति को शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के लिए अदला-बदली में अर्जित किया जाता है, तब इस प्रकार अर्जित मूर्त स्थिर आस्ति का उचित मूल्य उसकी वास्तविक लागत होगा।

सुधार और मरम्मत

12. ऐसा कोई व्यय, जिससे विद्यमान आस्ति से भावी फायदों में उसके कार्यपान के पूर्व में निर्धारित मानक से अधिक वृद्धि होती है, वास्तविक कीमत में जोड़ा जाएगा।

13. किसी विद्यमान मूर्त स्थिर आस्ति के जो पूंजी की प्रकृति की है और जो विद्यमान मूर्त स्थिर आस्ति का अभिन्न भाग हो जाती है, परिवर्धन या विस्तारण की लागत को उसकी वास्तविक लागत में जोड़ा जाएगा। ऐसी संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन मूर्त स्थिर आस्तियों के व्यौरे मूर्त स्थिर आस्ति रजिस्टर में पृथक् रूप से उपदर्शित किए जाएंगे।

विशेष मामलों में मूर्त स्थिर आस्तियों का मूल्यांकन

14. जहां कोई व्यक्ति अन्यो के साथ संयुक्त रूप से मूर्त स्थिर आस्ति का स्वामी है, वहां वास्तविक लागत, संचित अवक्षयण और अवलिखित मूल्य में के अनुपात को उसी प्रकार पूर्णतः स्वामित्वाधीन मूर्त स्थिर आस्तियों के साथ समूहित किया जाएगा।

15. जहां अनेक आस्तियों का एक समेकित कीमत के लिए क्रय किया जाता है, वहां प्रतिफल को एक उचित आधार पर विभिन्न आस्तियों में प्रभाजित किया जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध

16. मूर्त स्थिर आस्तियों की, जिनका अर्जन या सन्निर्माण 31 मार्च, 2016 को या उसके पूर्व आरंभ हुआ है किंतु उक्त तारीख तक पूरा नहीं हुआ है, वास्तविक लागत, इस मानक के उपबंधों के अनुसार मान्य होगी। वास्तविक लागत की रकम को, यदि कोई हो, जो 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी पूर्व वर्ष के उक्त आस्तियों के संबंध में मान्य है, 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले वर्ष और पश्चातवर्ती पूर्व वर्षों के लिए उक्त आस्तियों की वास्तविक लागत को मान्य करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

अवक्षयण

17. किसी मूर्त स्थिर आस्ति पर अवक्षयण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित किया जाएगा।

अंतरण

18. किसी मूर्त स्थिर आस्ति के अंतरण पर उद्भूत आय, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित की जाएगी।

प्रकटन

19. मूर्त स्थिर आस्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रकटन, अर्थात्:--

- (क) आस्ति या आस्ति-समूह के वर्णन का;
- (ख) अवक्षयण की दर का;

- (ग) यथास्थिति, वास्तविक लागत या अवलिखित मूल्य का;
- (घ) वर्ष के दौरान, तारीखों सहित परिवर्तनों अथवा कटौतियों का, किसी आस्ति के किसी परिवर्धन की दशा में उसका उपयोग किए जाने की तारीख का, जिसके अंतर्गत—
- (i) केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन दावा किया गया और अनुज्ञात केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय का;
- (ii) करेंसी की विनिमय दर में परिवर्तन;
- (iii) सहायिकी या अनुदान या प्रतिपूर्ति का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;
- (ङ.) अनुज्ञेय अवक्षयण का; और
- (च) वर्ष के अन्त में अवलिखित मूल्य का, अवक्षयण भी है, प्रकटन किया जाएगा।

च. विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के प्रभावों से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक VI

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक 'कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' अथवा 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961(अधिनियम) और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. यह आय संगणना और प्रकटन मानक निम्नलिखित के संबंध में है:--

- (क) विदेशी करेंसी में के संव्यवहारों का निरूपण;
- (ख) विदेशी संक्रियाओं के वित्तीय विवरणों का रूपांतरण;
- (ग) अग्रिम विनिमय संविदाओं की प्रकृति के विदेशी करेंसी का निरूपण।

परिभाषाएं

2.(1) इस आय संगणना और प्रकटन मानक में निम्नलिखित पदों को, उनके विनिर्दिष्ट अर्थरूप में, प्रयुक्त किया गया है:

- (क) 'औसत दर' किसी अवधि के दौरान विनियम दरों का मध्यमान है;
- (ख) 'बंद दर' यह विनियम दर है जो पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को विद्यमान है;
- (ग) 'विनिमय अंतर' वह अंतर है जो किसी विदेशी करेंसी की उतनी ही संख्या में किसी व्यक्ति की रिपोर्ट की गई करेंसी में भिन्न-भिन्न विनिमय दरों में रिपोर्ट किए जाने के परिणामस्वरूप हुआ है;
- (घ) 'विनिमय दर' दो करेंसियों के विनिमय का अनुपात है;
- (ङ) 'विदेशी करेंसी' किसी व्यक्ति की रिपोर्ट की गई करेंसी से भिन्न कोई करेंसी है;
- (च) 'किसी व्यक्ति की विदेशी संक्रियाएं' उस व्यक्ति की वह शाखा है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसके क्रियाकलाप भारत से भिन्न किसी देश में आधारित हैं या संचालित किए जाते हैं;

(छ) 'विदेशी करेंसी संव्यवहार' एक ऐसा संव्यवहार है जिसका अंकन विदेशी करेंसी में किया जाता है या जिसका परिनिर्धारण विदेशी करेंसी में किया जाना अपेक्षित है, जिसके अंतर्गत वे संव्यवहार भी हैं जो तब उद्भूत होते हैं जब कोई व्यक्ति—

- (i) ऐसे माल या सेवाओं का क्रय या विक्रय करता है जिसकी कीमत विदेशी करेंसी में अंकित की जाती है;
- (ii) ऐसी निधियों को उधार में लेता है या उधार में देता है जब संदेय या प्राप्य राशियां किसी विदेशी करेंसी में अंकित की जाती हैं; या
- (iii) किसी अपालित अग्रिम विनिमय संविदा का एक पक्षकार बनता है; या
- (iv) अन्यथा ऐसी आस्तियों का अर्जन या व्ययन करता है या ऐसे दायित्वों को उपगत कर लेता है या उनका परिनिर्धारण करता है जिसे किसी विदेशी करेंसी में अंकित किया जाता है;
- (ज) 'अग्रिम विनिमय संविदा' से भिन्न-भिन्न करेंसियों की वायदा दर पर विनिमय करने का करार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई विदेशी करेंसी विकल्प संविदा या उसी प्रकृति को कोई अन्य वित्तीय लिखत भी है;
- (झ) 'वायदा दर' दो करेंसियों के किसी विनिर्दिष्ट भावी तारीख को विनिमय करने की विनिर्दिष्ट विनिमय दर है;
- (ञ) भारतीय करेंसी का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42) की धारा 2 में उसका है;
- (ट) 'धनीय मदें' वे धारित धनराशि और नियत या अवधारणीय धन राशियों में प्राप्त की जाने वाली आस्तियां या संदत्त किये जाने वाले दायित्व हैं। नकदी, प्राप्त राशियां और संदेय राशियां धनीय मदों के उदाहरण हैं;
- (ठ) 'गैर-धनीय मदें' वे आस्तियां और दायित्व हैं जो धनीय मदों से भिन्न हैं। स्थिर आस्तियां, सूचीबद्ध माल और साधारण शेयरों में विनिधान गैर-धनीय मदों के उदाहरण हैं;
- (ड) 'रिपोर्ट की जाने वाली करेंसी' से भारतीय करेंसी अभिप्रेत है, सिवाय विदेशी संक्रियाओं के जहां इससे उस देश की करेंसी अभिप्रेत है जहां कि संक्रियाएं की जाती हैं।

(2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

विदेशी करेंसी संव्यवहार

आरंभिक मान्यता

3. (1) किसी विदेशी करेंसी संव्यवहार के विदेशी करेंसी की रकम के प्रति संव्यवहार की तारीख रिपोर्ट की जाने वाली करेंसी और विदेशी करेंसी के बीच की विनिमय दर लागू करके रिपोर्ट की जाने वाली करेंसी में, आरंभतः मान्य करने पर, अभिलिखित किया जाएगा।

(2) एक सप्ताह या एक मास के लिए औसत दर को, जो संव्यवहार की तारीख को वास्तविक दर के लगभग है, उस अवधि के दौरान प्रत्येक विदेशी करेंसी में होने वाले सभी संव्यवहारों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि विनिमय दर में महत्वपूर्ण रूप से उतार चढ़ाव होता है तो संव्यवहार की तारीख को जो वास्तविक दर है उसका प्रयोग किया जाएगा।

पूर्व वर्ष अंतिम तारीख को संपरिवर्तन-

4. प्रत्येक पूर्व वर्ष की अंतिम तारीख को:-

- (क) विदेशी करेंसी धनीय मदें बंद होने की दर लागू करते हुए रिपोर्ट की गई करेंसी में संपरिवर्तित हो जाएंगी।

(ख) जहां युक्त शुद्धता के साथ बंद होने की दर प्रकट नहीं की गई है वहां रिपोर्ट की गई करेंसी की रकम, जो वसूल की जानी है या जिसका वितरण किया जाना अपेक्षित है, विप्रेषण देश पर निर्बंधन के कारण या अवास्तविक अंतिम दर होने के कारण और करेंसी के विनियम को प्रभावी करना संभव नहीं है वहां सुसंगत धनीय मद रिपोर्ट की गई करेंसी की रकम पर रिपोर्टित होगी जिसे पूर्व वर्ष की अंतिम तारीख को वसूल किया जाना है या जिसका ऐसी रीति से संवितरण किया जाना अपेक्षित है।

(ग) किसी विदेशी करेंसी की गैर धनीय मदें, संव्यवहार की तारीख को विनियम दर का उपभोग करते हुए रिपोर्ट की गई करेंसी में संपरिवर्तित हो जाएगी।

(घ) गैर वित्तीय मद जो कि मारूसूची में आती हों और जिनको मुख्यतः विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया हो, के बारे में रिपोर्टिंग करने में विनियम दर का प्रयोग किया जायेगा जोकि ऐसे मूल्य के निर्धारण के समय प्रसारित हो।

विनियम अंतरों की मान्यता-

5. (i) धनीय मदों के संबंध में पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को उसके परिनिर्धारण पर या उसके संपरिवर्तन पर उद्भूत विनियम अंतरों को उस पूर्व वर्ष में आय के रूप में या व्यय के रूप की मान्यता दी जाएगी;

(ii) गैर धनीय मदों के संबंध में पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को उसके संपरिवर्तन पर उद्भूत विनियम अंतरों को आय के रूप में या व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी।

पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5 के अपवाद

6. पैरा 3, पैरा 4 एवं पैरा 5 में किसी बात के होते हुए भी आरंभिक मान्यता, संपरिवर्तन और विनियम अंतर की मान्यता, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 43क या आयकर नियम, 1962 के नियम 115 के उपबंधों के अध्यधीन होगी।

विदेशी प्रचालनों का वित्तीय विवरण

7. यदि विदेशी प्रचालनों का संव्यवहार व्यक्ति के स्वयं के हों तो इन विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का अनुवाद पैराग्राफ 3 से 6 में दिये गये सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

8(1) किसी अग्रिम विनियम संविदा के प्रारंभ पर उद्भूत कोई प्रीमियम या छूट, संविदा की अवधि तक व्यय या आय के रूप में अपाकरण किया जाएगा, ऐसी किसी संविदा पर विनियम अंतर, उस पूर्व वर्ष में, जिसमें विनियम दरों के परिवर्तन होता है, आय के रूप में या व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त होंगे। संग्रहण या नवीकरण पर उद्भूत कोई लाभ या हानि पूर्व वर्ष के लिए आय के रूप में या व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त होंगे।

(2) उपपैरा (1) के उपबंध संविदा को लागू होंगे, परंतु तब:-

(क) जब संविदा व्यापार या सट्टा संबंधी प्रयोजनों के लिए आशयित न हो; और

(ख) जब संविदा, संव्यवहार के परिनिर्धारण की तारीख पर अपेक्षित या उपलब्ध रिपोर्ट की गई करेंसी की रकम को सिद्ध करने के लिए की गई है।

(3) उपपैरा (1) के उपबंध ऐसी संविदा को लागू नहीं होंगे जो किसी फर्म की प्रतिबद्धता के विदेशी करेंसी जोखिम को रोकने या उच्च स्तरीय संभाव्य पूर्वानुमानित संव्यवहार के लिए की गई है। इस प्रयोजन के लिए फर्म की प्रतिबद्धता के अंतर्गत पूर्व वर्ष के अंत में विद्यमान आस्तियाँ और दायित्व सम्मिलित नहीं होंगे।

(4) ऐसा प्रीमियम या छूट की, जो संविदा से उद्भूत हुई है, संविदा के प्रारंभ की तारीख को विनियम दर और संविदा में विनिर्दिष्ट अग्रिम दर के बीच के अंतर द्वारा मापी जाएगी।

ऐसा संविदा पर विनियम अंतर:-

(क) पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को या जहां संव्यवहार का परिनिर्धारण पूर्व वर्ष के दौरान किया जाता है वहां परिनिर्धारण की तारीख को विनिमय दर या रूपांतरित संविदा की विदेशी करेंसी की रकम के बीच का अंतर होगा;

(ख) संविदा के प्रारंभ की तारीख को या पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती अंतिम दिन को, इनमें से जो भी पश्चावर्ती हो, उसी रूपांतरित विदेशी करेंसी की रकम के बीच का अंतर होगा।

(5) संविदा पर ऐसा प्रीमियम, छूट या विनिमय अंतर को, जो व्यापार या सट्टे के प्रयोजनों के लिए आशियत है या जो किसी फर्म की प्रतिबद्धता के विदेशी करेंसी जोखिम को रोकने के लिए या उच्चतर संभाव्य पूर्वानुमानित संव्यवहार के लिए की गई है, परिनिर्धारण के समय मान्यता दी जाएगी।

संक्रमणकालीन उपबंध

9. (1) 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किए गए सभी विदेशी करेंसी संव्यवहारों को इस मानक के उपबंधों के अनुसार मान्यता दी जाएगी।

(2) 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष के दौरान धनीय मदों या गैर धनीय मदों के या उसके परिनिर्धारण के संबंध में या 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को उसके संपरिवर्तन पर उद्भूत विनिमय अंतरों को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के प्रथम दिन को, ऐसी किसी मद के लिए, यदि कोई हो, जो उक्त पूर्व वर्ष से अग्रणीत की गई है, मान्यताप्राप्त रकम को हिसाब में लेने के पश्चात् इस मानक के उपबंधों के अनुसार मान्यता दी जाएगी।

(3) 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष के लिए विदेशी संक्रियाओं के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के प्रथम दिन को, ऐसी किसी मद के लिए, यदि कोई हो, जो उक्त पूर्व वर्ष से अग्रणीत की गई है, मान्यताप्राप्त रकम को हिसाब में लेने के पश्चात् इस मानक में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए रूपांतरित की जाएगी।

(4) 1 अप्रैल, 2016 को विद्यमान या 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किए गए सभी अग्रिम विनिमय संविदाओं पर, 31 मार्च, 2016 को या उसके पहले समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए उक्त संविदाओं को बाबत मान्यताप्राप्त आय या व्ययों को, यदि कोई हों, हिसाब में लेते हुए इस मानक के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

छ. सरकारी अनुदानों संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक VII

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” अथवा “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. यह आय संगणना और प्रकट मानक सरकारी अनुदानों के निरूपण के बारे में है। कभी कभी सरकारी अनुदानों को सहायता देना, नकद प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, अधित्यजन, छूट, प्रतिपूर्ति आदि जैसे अन्य नामों से जाने जाते हैं।

2. यह आय संगणना और प्रकटन मानक निम्नलिखित के संबंध में नहीं है—

(क) सरकारी अनुदानों से भिन्न सरकारी सहायता; और

(ख) उद्यमों के स्वातंत्र्यवादी सरकार की भागीदारी।

परिभाषाएं

3. (1) आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त निम्नलिखित पदों को उनके विनिर्दिष्ट अर्थ रूप में प्रकट किया गया है:

(क) "सरकार" से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, अभिकरण और उसी प्रकार के अन्य निकायों, चाहे स्थानीय हों, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय हों, के प्रतिनिर्देश है।

(ख) "सरकारी अनुदान" किसी व्यक्ति को कतिपय शर्तों के साथ पूर्व या भावी अनुपालन के लिए नकद या वस्तु के रूप में सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना है। इनमें ऐसी सरकारी सहायता के प्रारूपों को, जिनका कोई मूल्य नहीं हो सकता है और सरकार के साथ किए गए उन संव्यवहार को जिन्हें व्यक्ति के सामान्य व्यापार संबंधी संव्यवहारों से सुभिन्न नहीं किया जा सकता है, उपवर्जित किया गया है।

3.(2) उन शब्दों और पद के, जो इस आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उसके हैं।

सरकारी अनुदानों की, मान्यता

4.(1) सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक ऐसा युक्तियुक्त आसवासन न हो कि (i) व्यक्ति; उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करता है, और (ii) अनुदानों को पुनरीक्षित कर दिया जाएगा।

4.(2) सरकारी अनुदानों की मान्यता वास्तविक प्राप्ति की तारीख के पश्चात् मुलतवी नहीं की जाएगी।

सरकारी अनुदानों का उपचार

5. जहां सरकारी अनुदान किसी व्यक्ति की अवक्षयी स्थिर आस्ति या आस्तियों के संबंध में है वहां अनुदान की, वास्तविक लागत से या ऐसी आस्तियों के ब्लॉक के जिसका संबंधित आस्तिओं से संबंध संबंध है, निम्नलिखित मूल्य से कटौती की जाएगी।

6. जहां सरकारी अनुदान किसी ऐसे व्यक्ति की, जिससे कतिपय बाध्यताओं को पूरा करने की अपेक्षा है, के अवक्षयी आस्ति या आस्तियों के संबंध में है वहां अनुदान को उसी अवधि के लिए मान्यता दी जाएगी जिस पर ऐसी बाध्यताओं को पूरा करने की लागत आय पर प्रभारित है।

7. जहां सरकारी अनुदान ऐसी प्रकृति का है कि उसको प्रत्यक्ष रूप से अर्जित आस्ति से नहीं जोड़ा जा सकता वहां उतनी रकम की जो कि कुल सरकारी अनुदान से संबंधित है, उसी अनुपात में, जैसा उस आस्ति का उन सभी आस्तिओं में है जिसका बाबत या जिसके संदर्भ में सरकारी अनुदान इस प्रकार प्राप्त किया जाता है, आस्ति की वास्तविक लागत से कटौती की जाएगी या आस्ति समूह के अवलिखित मूल्य से, जिसका आस्ति या आस्तिओं से संबंध है, घटा दी जाएगी।

8. ऐसा सरकारी अनुदान को, किसी पूर्ववर्ति वित्तीय वर्ष में व्ययों या हानियों के लिए प्रतिकर के रूप में या व्यक्ति को संबंधित भावी लागत के बगैर तात्कालिक वित्तीय सहायता देने के प्रयोजनों के लिए प्राप्य है, ऐसी अवधि की आय के रूप में मान्यता दी जाएगी जो उसे प्राप्य हो।

9. पैरा 5, पैरा 6, पैरा 7 और पैरा 8 के अंतर्गत आने वाले सरकारी अनुदानों से भिन्न सरकारी अनुदानों को उन अवधियों के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी जो उन्हें ऐसे संबंधित खर्चों के साथ जो प्रतिपूर्ति करने के लिए आशयित है, जोड़ने के लिए आवश्यक है।

10. रियायती दर पर दिए गए गैर धनीय आस्तियों के रूप में सरकारी अनुदानों का उनकी अर्जन लागत के आधार पर लेखा जोखा दिया गया।

सरकारी अनुदानों का प्रतिदाय

11. पैरा 6, पैरा 8 और पैरा 9 में निर्दिष्ट सरकारी अनुदान की बाबत सरकारी अनुदान के संबंध में अतिशेष किसी अब अपाकृत आस्थगित प्रत्यय के विरुद्ध उपयोजित की जाएगी। इस विस्तार तक कि प्रतिदेय रकम किसी ऐसे आस्थगित प्रत्यय से अधिक है या जहां कोई आस्थगित प्रत्यय विद्यमान नहीं है वहां वह रकम लाभ और हानि विवरण को प्रभारित होगी।

12. किसी अवक्षयी स्थिर आस्ति या आस्तियों से संबंधित किसी सरकारी अनुदान की बाबत अप्रतिदेय रकम को अप्रतिदेय रकम के अनुसार आस्तियों के ब्लॉक की वास्तविक लागत या लिखित मूल्य को बढ़ा कर अभिलिखित किया जाएगा। जहाँ आस्ति की वास्तविक लागत में वृद्धि होती है वहाँ पुनरीक्षित वास्तविक लागत या लिखित मूल्य पर अवक्षयण भविष्यलक्षी रूप से विहित दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध

13. ऐसे सभी सरकारी अनुदानों को, जो 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् पैरा 4 का मान्यता संबंधी मानदंड पूरा करते हैं, 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले पूर्व वर्ष के लिए, 31 मार्च, 2016 को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त उक्त सरकारी अनुदान की रकम को, यदि कोई हो, हिसाब में लेने के पश्चात् इस मानक के उपबंधों के अनुसार मान्यता दी जाएगी।

प्रकटन

14. सरकारी अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित प्रकटन किया जाएगा, अर्थात्--:

(क) पूर्व वर्ष के दौरान आस्ति या आस्तियों की वास्तविक लागत में से या आस्तियों के ब्लॉक के लिखित मूल्य में से कटौती द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदानों की प्रकृति और सका विस्तार;

(ख) पूर्व वर्ष के दौरान आय के रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदानों की प्रकृति और विस्तार;

(ग) आस्ति या आस्तियों की वास्तविक लागत में से या आस्तियों के ब्लॉक के लिखित मूल्य में से कटौति द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे सरकारी अनुदानों की प्रकृति और विस्तार जिन्हें मान्यता नहीं दी गई है तथा उसके कारण; और

(घ) पूर्व वर्ष के दौरान आय के रूप में ऐसे सरकारी अनुदानों की प्रकृति और विस्तार जिन्हें मान्यता नहीं दी गई है तथा उसके कारण।

ज. प्रतिभूतियों से संबंधित आय की संगणना और प्रकटन मानक VIII

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" अथवा "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

भाग-क

व्याप्ति

1. यह आय संगणना और प्रकटन मानक व्यापार स्टॉक के रूप में धारित प्रतिभूतियों के बारे में है।

2. यह आय संगणना और प्रकटन मानक निम्नलिखित के बारे में नहीं है--:

(क) ऐसी प्रतिभूतियों पर, जो राजस्व मान्यता से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक के अंतर्गत आती है, जो ब्याज और लाभांश की मान्यता के आधार है;

(ख) बीमा कारबार में लगे हुए किसी व्यक्ति द्वारा धारित प्रतिभूतियाँ;

(ग) पारस्परिक निधियों, जोखिम पूंजी निधियाँ, बैंक और किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन इस प्रकार घोषित लोकवित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित प्रतिभूतियाँ।

परिभाषाएं

2 (1) इस आय संगणना और प्रकटन मानक के भाग में युक्त निम्नलिखित पदों को उनके विनिर्दिष्ट अर्थरूप में प्रकट किया गया है:

(क) "उचित मूल्य" ऐसी रकम है जिसके लिए जेय, इच्छुक, क्रेता और जेय, इच्छुक विक्रेता के बीच, आसन्निकर संव्यवहार में किसी आस्ति का आदान प्रदान किया जा सकता है।

(ख) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में इसके लिए दिया गया है। और इसमें उस कंपनी का हिस्सा भी शामिल होगा जिसमें आम जनता पर्याप्त रूप से सरोकार नहीं रखती अपितु उसमें खंड (ज) के उपखंड (क) में संदर्भित व्युत्पन्न शामिल नहीं होंगे।

3(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस आय संगणना और प्रकटन मानक के भाग में प्रयुक्त हैं और पारिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में पारिभाषित हैं वही उसकेउसके हैं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः।

प्रतिभूतियों की मान्यता और आरंभिक माप

4. अर्जन पर किसी प्रतिभूति की मान्यता वास्तविक लागत के आधार पर होगी।

5. किसी प्रतिभूति की वास्तविक लागत में उसका क्रय मूल्य समाविष्ट होगा और इसके अंतर्गत दलाली, फीस कर, शुल्क या उपकर जैसे अर्जन के प्रकार भी सम्मिलित हैं।

6. जहां कोई प्रतिभूति अन्य प्रतिभूतियों के बदले में अर्जित की जाती है वहां इस प्रकार अर्जित प्रतिभूति का उचित मूल्य उसकी वास्तविक लागत होगी।

7. जहां कोई प्रतिभूति किसी अन्य आस्ति के बदले में अर्जित की जाती है वहां इस प्रकार अर्जित प्रतिभूति का उचित मूल्य उसकी वास्तविक लागत होगी।

8. जहां किसी व्याज संबंधी प्रतिभूति के अर्जन के पूर्व असंदत्त व्याज प्रोदभूत होता है और वह उस प्रतिभूति के लिए संदत्त कीमत में सम्मिलित होता है, व्याज की पश्चातवर्ती रसीद, पूर्व अर्जन और पश्च अर्जन अवधियों के मध्य आबंटित की जाती है, वहां व्याज की वास्तविक लागत के आधार पर।

प्रतिभूतियों की पश्चातवर्ती माप

9. किसी पूर्व वर्ष की समाप्ति पर व्यापार स्टाक के रूप में धारित प्रतिभूतियों का उस पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर इनमें से जो भी कम हो, मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

10. पैरा 9 के प्रयोजन के लिए आरंभिक रूप से मान्यता प्राप्त वास्तविक लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य की तुलना प्रवर्गवार की जाएगी न कि प्रत्येक वैयक्तिक प्रतिभूति के आधार पर। इस प्रयोजन के ले प्रतिभूतियों को निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्-

(क) शेयर;

(ख) ऋण प्रतिभूतियां;

(ग) संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियां; और

(घ) कोई अन्य प्रतिभूतियां जो उपरोक्त के अंतर्गत नहीं आती हैं।

11. पूर्व वर्ष के प्रारंभ पर किसी कारबार के व्यापार स्टाक के रूप में धारित प्रतिभूतियों का मूल्य होगा।

(क) जब कारबार पूर्व वर्ष के दौरान आरंभ किया जाता है वहां कारबार आरंभ करने वाले दिन को उपलब्ध प्रतिभूतियों की लागत होगा, और

(ख) पूर्व किसी अन्य मामले में पूर्व वर्ष के ठीक पहले समाप्त होने पर कारबार की प्रतिभूतियों का मूल्य होगा।

12. पैरा 9, पैरा 10 और पैरा 11 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी पूर्व वर्ष के अन्त में ऐसी प्रतिभूतियों का जो किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है या सूचीबद्ध है किन्तु समय-समय पर नियमित रूप से किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में उत्कथित नहीं है; आरंभिक रूप से मान्यता वास्तविक लागत पर मूल्यांकित किया जाएगा।

13. पैरा 9, पैरा 10 और पैरा 11 के प्रयोजनों के लिए जहां आरंभिक रूप से मान्यताप्राप्त वास्तविक लागत विनिर्दिष्ट पहचान के प्रति निर्देश करते हुए सुनिश्चित नहीं की जा सकती वहां ऐसी प्रतिभूति की लागत प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति अथवा भारित औसत लागत सूत्र के आधार पर अवधारित की जाएगी।

भाग-ख

व्याप्ति

1. आय की संगणना और घोषणा के मानदण्ड का यह भाग उन अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के द्वारा धारित प्रतिभूतियों से संबंधित है जिनकी स्थापना केंद्र या राज्य के अधिनियम के अंतर्गत हुई है या जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत घोषित है।

परिभाषाएं

2.(1) आय संगणना और प्रकटीकरण मानकों के इस हिस्से में विनिर्दिष्ट अर्थ के साथ निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग किया गया है:

(क) “अनुसूचित बैंक” का वही अर्थ होगा जो इसे अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड-(vii) (क) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में दिया गया था

(ख) “प्रतिभूतियों” का वही अर्थ होगा जो उसे प्रतिभूति (विनियमावली) अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड (एच) में दिया गया है और उसमें उस कंपनी का हिस्सा शामिल है जिसमें आम जनता पर्याप्त रूप से रूची नहीं लेती।

2(2) “आय संगणना” और प्रकटीकरण मानक के इस भाग में प्रयोग किये गये और परिभाषित नहीं किए गये शब्द और अभिव्यक्तियां जो कि अधिनियम में परिभाषित की गई हैं, का वही अर्थ होगा जो अर्थ उनका अधिनियम में है।

प्रतिभूतियों का वर्गीकरण मान्यता और मापन

3. ‘प्रतिभूतियों का वर्गीकरण मान्यता और मापन, इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा उक्त विषय निर्देशों से अधिक राशि की कटौती संबंधी किसी दावे पर विचार किया जायेगा। इस सीमा तक फारवर्ड विनिमय संविदा से संबंधित विदेशी विनमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में आय संगणना और प्रकटीकरण मानक vi प्रावधान लागू नहीं होंगे’

झ. उधार देने की लागत संबंधी आय की संगणना और प्रकटन मानक IX

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” अथवा “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के लिए, लागू होता है।

आय-कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1.(1) यह आय संगणना और प्रकटन मानक उधार लेने संबंधी लागतों के निरूपण के बारे में है।

(2) यह आय संगणना और प्रकटन मानक स्वामी के साधारण और अधिमानी शेयर पूंजी की वास्तविक या अभ्यारोपित लागत के बारे में नहीं है।

परिभाषाएं

2.(1) इस य संगणना और प्रकटीकरण मानक में प्रयुक्त निम्नलिखित पदों को उनके विनिर्दिष्ट अर्थरूप में प्रकट किया गया है।

(क) "उधार लेने संबंधी लागत" किसी व्यक्ति द्वारा निधियों के उधार लेने के संबंध में उपगत ब्याज और अन्य लागतें हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है:

- (i) उधार लेने संबंधित प्रतिबद्धता प्रभार;
- (ii) उधार लेने से संबंधित ब्रूट की अपाकरणित रकम या प्रीमियम;
- (iii) उधार लेने संबंधी ठहराव के संबंध में उपगत आनुषंगिक लागतों की अपाकरणित रकम;
- (iv) वित्त पट्टो या वैसे ही अन्य ठहरावों के अधीन अर्जित आस्तियों के संबंध में वित्त प्रभार।

(ख) ("अर्हक आस्ति") से—

- (i) ऐसी भूमि, भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, अभीप्रेत है, जो मूर्त आस्तियां हैं।
- (ii) ऐसा व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्तियां, मताधिकार या उसी प्रकृति के कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार अभीप्रेत है जो अमूर्त आस्तियां हैं;
- (iii) ऐसी सूचीबद्ध सामग्रियां जिन्हें विक्रय की स्थिति में लाने के लिए बारह साल या उससे अधिक की अवधि अपेक्षित है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और पारिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में पारिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनका है।

मान्यता

3. उधार लेने संबंधी ऐसी लागतों को जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्हक आस्ति का अर्जन, संनिर्माण या उत्पादन माना जा सकता है, स आस्ति की लागत के भाग रूप में पूंजीकृत किया जाएगा। पूंजीकरण के लिए अर्हत उधार लेने संबंधी लागतों की रकम इस आय संगणना और प्रकटीकरण मानक के अनुसार अवधारित की जाएगी। अन्य उधार लेने संबंधी लागतों को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मान्यता दी जाएगी।

4. इस आय की संगणना और प्रकटीकरण मानक के प्रयोजनों के ले पैरा के उपपैरा (1) के खंड (ख) की मद (iii) में निर्दिष्ट सूचीबद्ध सामग्री के संदर्भ में "पूंजीकरण" से संपत्ति सूची की लागत में उधार लेने संबंधी लागत को जोड़ा जाना अभीप्रेत है।

पूंजीकरण के लिए अर्हक उधार लेने संबंधी लागतें

5. उस विस्तार तक जिस तक निधियां किसी अर्हक आस्ति के अर्जन, संनिर्माण या उत्पादन के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से उधार ली जाती हैं उस आस्ति पर पूंजीकृत की जाने वाली उधार लेने संबंधी लागतों की रकम इस प्रकार उधार ली गई निधियों पर अवधि के दौरान उपगत उधार लेने संबंधी वास्तविक लागत होंगी।

6. पैरा 8 के अधीन रहते हुए, उधारी, उनसे भिन्न जो कि पैरा 5 में संदर्भित है के संबंध में उधार लागत की राशि, जिसका पूंजीकरण किया जाना है की संगणना निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए की जाएगी यथा:-

$$A \times B$$

C

जहां A= पिछले वर्ष होने वाली उधार लागत, उससे भिन्न जो उपर्युक्त पैरा 5 में संदर्भित है।

B= (i) पिछले वर्ष के पहले और अंतिम दिन व्यक्ति के तुलन:पत्र में प्रदर्शित व्यक्ति की अर्ह परिसंपत्ति की लागत का औसत:-

(ii) यदि व्यक्ति के तुलन पत्र में पहले दिन की अर्ह परिसंपत्ति का उल्लेख नहीं है तो अर्ह परिसंपत्ति की लागत का आधा: या

(iii) यदि व्यक्ति के तुलन पत्र में पिछले वर्ष के प्रथम दिन की अर्ह परिसंपत्ति का उल्लेख नहीं है तो तुलन पत्र में पिछले वर्ष के प्रथम दिन और प्रयोग पूरा होने के दिन जैसी स्थिति है, प्रदर्शित अर्ह परिसंपत्ति की लागत का औसत उस सीमा तक छोड़कर जिस सीमातक अर्ह परिसंपत्ति का पोषण सीधे विशेष उधारों से होता है:-

C= व्यक्ति के तुलना पत्र में पिछले वर्ष के प्रथम और अंतिम दिन की कुल परिसंपत्ति की राशि का औसत, उन परिसंपत्तियों को छोड़कर जिनका पोषण विशेष उधारों से होता हो:

स्पष्टीकरण:- इस पैराग्राफ के उद्देश्य के लिए अर्ह परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति होगी जिसके अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन में 12 महीने या इससे अधिक का समय लगता हो।

पूँजीकरण का प्रारंभ

7. उधार लेने संबंधी लागतों के पूँजीकरण का प्रारंभ;

(क) पैरा 5 में निर्दिष्ट किसी मामले में उस तारीख से प्रारंभ होगा जिसको निधियां उधार ली गई थी;

(ख) पैरा 6 में निर्दिष्ट किसी मामले में, उस तारीख से प्रारंभ होगा जिसको निधियों का उपयोग किया गया था।

पूँजीकरण की समाप्ति

8. उधार लेने संबंधी लागतों का पूँजीकरण:

(क) पैरा 2 के उपपैरा (1) के खंड (ख) की मद (i) और मद (ii) में निर्दिष्ट किसी अर्हक आस्ति की दशा में, जब ऐसी आस्ति का पहले उपयोग किया जाता है, समाप्त हो जाएगा।

(ख) पैरा 2 के अपपैरा (1) के खंड (ख) की मद (iii) में निर्दिष्ट सूचीबद्ध सामग्री की दशा में, जब सारतः सभी क्रियाकलाप ऐसी सूचीबद्ध सामग्री को, सके आशयित विक्रय को पूरा करने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक है, समाप्त हो जाएगा।

9. जब किसी अर्हक आस्ति का संनिर्माण भागों में पूरा होता है और संपूरित भाग, अन्य भागों के संनिर्माण जारी रहने के दौरान उपयोग करने योग्य है तो ऐसे भाग के संबंध में उधार लेने की लागतों का पूँजीकरण:

(क) पैरा 2 के अपपैरा (1) के खंड (ख) की मद (i) और मद (ii) में निर्दिष्ट सूचीबद्ध सामग्री के भाग की दशा में जब सारतः सभी क्रिया कलाप सूचीबद्ध सामग्री के ऐसे भाग को उसके आशयित विक्रय को पूरा करने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक है, समाप्त हो जाएगा।

(ख) पैरा 2 के उपपैरा (1) के खंड (ख) के मद (iii) में संदर्भित सूची के हिस्से के संबंध में जब पर्याप्त रूप से इसकी अभिप्रेत बिक्री के संबंध में इस प्रकार की सूची तैयार करने के लिए आवश्यक सभी क्रिया कलाप पर्याप्त रूप से पूर्ण हों।

संक्रमणकालीन उपबंध

10. 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् उपगत सभी उधार लेने संबंधी लागतों का पूँजीकरण, 31 मार्च, 2016 को या उसके पहले समाप्त होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए वैसे ही उधार लेने हेतु पूँजीकृत उधार लेने संबंधी लागतों की रकम को, यदि कोई हो, हिसाब में लेने के पश्चात् इस मानक के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष के लिए पूँजीकृत किया जाएगा।

प्रकटन

11. उधार लेने संबंधी लागतों के संबंध में निम्नलिखित प्रकटन किया जाएगा, अर्थात्--:

(क) उधार लेने संबंधी लागतों के लिए लेखा नीति; और

(ख) पूर्व वर्ष के दौरान पूँजीकृत उधार लेने संबंधी लागतों की रकम।

झ. समाश्रित दायित्वों और समाश्रित आस्तियों के उपबंधों से संबंधित आय संगणना और प्रकटन मानक।

उद्देशिका

यह आय संगणना और प्रकटन मानक "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" अथवा "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना के लिए, न कि लेखा बहियों के बनाए रखे जाने के प्रयोजन के लिए, लागू होता है।

आय-कर, अधिनियम 1961 ('अधिनियम') और इस आय संगणना और प्रकटन मानक के उपबंधों के बीच विरोध की दशा में, अधिनियम के उपबंध उस सीमा तक अभिभावी होंगे।

व्याप्ति

1. यह आय संगणना और प्रकटन मानक समाश्रित दायित्वों और समाश्रित आस्तियों के उपबंधों के बारे में है सिवाए उनके जो:

(क) वित्तीय लिखतों के परिणाम स्वरूप हैं;

(ख) निष्पाद्य संविदाओं के परिणाम स्वरूप हैं;

(ग) पॉलिसी धारकों के साथ संविदाओं से बीमा कारबार में उद्भूत हुए हैं; और

(घ) किसी अन्य आय संगणना और प्रकटन के अंतर्गत आते हैं।

2. यह आय संगणना और प्रकटीकरण मानक ऐसे राजस्व की मान्यता के बारे में नहीं है जो आय संगणना और प्रकटन मानक राजस्व मान्यता के बारे में है।

3. 'उपबंध' पद का आस्तियों के ऐसे आवक्षयण, उनके ह्वास और संदेहास्पद ऋण जैसी मदों के संदर्भ भी उपयोगी किया गया है जो आस्तियों की धारित रकमों का समायोजन करते हैं और जिनका इस आय संगणना और प्रकटन मानक में विचार नहीं किया जाता है।

परिभाषाएं

4.(1) इस आय संगणना और प्रकटन मानक में निम्नलिखित पदों को, उनके विनिर्दिष्ट अर्थरूप में प्रयुक्त किया गया है:

(क) "प्रावधान" ऐसा दायित्व है जो केवल प्राक्कलन की पर्याप्त डिग्री का उपयोग करके मापी जा सकती है।

(ख) "दायित्व" पूर्व घटनाओं से उद्भूत किसी व्यक्ति का ऐसा वर्तमान दायित्व है, जिसके निपटारे से उस व्यक्ति से ऐसे संसाधनों के, जिसके आर्थिक फायदे सन्निविष्ट हैं, उद्भूत होने की संभावना है।

(ग) "बाध्यकारी घटना" ऐसी घटना है जिससे ऐसी किसी बाध्यता का सृजन होता है जिसके उस व्यक्ति से उद्भूत होने की संभावना है जिसके पास उस बाध्यता के निपटारे के लिए कोई यथार्थ विकल्प नहीं है;

(घ) "समाश्रित दायित्व"

(i) ऐसी सम्भाव्य बाध्यता है जो पूर्व घटनाओं से उद्भूत होती है और जिसके आस्तित्व की, जो पूर्ण रूप से व्यक्ति के नियंत्रणाधीन नहीं है, केवल एक या अधिक अनिश्रित भावी घटनाओं के घटित होने या न होने पर पुष्टि होगी; या

(ii) ऐसी वर्तमान बाध्यता है जो पूर्व घटनाओं से उद्भूत होती है किन्तु मान्यताप्राप्त नहीं है, क्योंकि--:

(अ) यह युक्तियुक्त रूप से निश्चित नहीं है कि ऐसे संसाधनों, जिसमें आर्थिक फायदे सन्निविष्ट हैं, प्रवाह से बाध्यता का निपटारा होना अपेक्षित है; या

(आ) बाध्यता की रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है।

(ड) "समाश्रित आस्ति" ऐसी सम्भाव्य आस्ति है जो ऐसी पूर्व घटनाओं से उद्भूत होती है जिसके आस्तित्व की, जो पूर्ण रूप से व्यक्ति के नियंत्रणाधीन नहीं है, केवल एक या अधिन अनिश्रित भावी घटनाओं के घटित न होने की पुष्टि होती है।

(च) "निष्पादन संविदाएं" ऐसी संविदाएं हैं जिनके अधीन कोई भी पक्षकार अपनी किसी बाध्यता का पालन नहीं करता है या दोनों पक्षकार एक समान विस्तार तक अपनी बाध्यताओं का पालन करते हैं।

(छ) "वर्तमान दायित्व" ऐसा दायित्व है यदि यह उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है तो उसके अस्तित्व को पूर्व वर्ष के अंत में युक्तियुक्त रूप से निश्चित समझा जाएगा।

4. (2) उन शब्दों और पदों के, जो इस आय संगणना और प्रकटन मानक में प्रयुक्त हैं और पारिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

मान्यता

प्रावधान

5. किसी प्रावधान को तभी मान्यता दी जाएगी, जब-

(क) किसी व्यक्ति की वर्तमान बाध्यता किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप है

(ख) यह युक्तियुक्त रूप से निश्चित है कि ऐसे संसाधनों के प्रवाह से, जिसमें आर्थिक फायदा सन्निविष्ट है, बाध्यता का निपटारा होना अपेक्षित है; और

(ग) बाध्यता की सीमा का विश्वनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाएगी।

6. ऐसे खर्चों के लिए किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाएगी, जिनको भविष्य में प्रवर्तित किए जाने के लिए उपगत किए जाने की आवश्यकता है।

7. यह केवल ऐसी बाध्यताएं हैं जो किसी व्यक्ति की भावी कार्रवाइयों के स्वतंत्र रूप से विद्यमान पूर्व घटनाओं से उद्भूत होती हैं अर्थात् उसके कारबार का भावी संचालन जो प्रावधानों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

8. जहां प्रस्तावित नई विधि के व्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, वहां ऐसे विधान के अधिनियमित होने पर ही दायित्व उद्भूत होगा।

समाश्रित दायित्व

9. कोई व्यक्ति समाश्रित दायित्व को मान्यता नहीं देगा।

समाश्रित आस्तियाँ

10. कोई व्यक्ति किसी समाश्रित आस्ति को मान्यता नहीं देगा।

11. समाश्रित आस्तियों का निर्धारण निरन्तर किया जाता है और जब यह युक्तियुक्त रूप से निश्चित होता है कि आर्थिक फायदे का प्रवाह उद्भूत होगा तो आस्ति और संबंधित आय को उस पूर्व वर्ष की मान्यता दी जाएगी, जिसमें परिवर्तन घटित होता है।

मापमान

सर्वोत्तम प्राक्कलन

12. किसी प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त रकम, पूर्व वर्ष के अंत में वर्तमान बाध्यता के निपटारे के लिए अपेक्षित व्यय का सर्वोत्तम प्राक्कलन होगी। किसी प्रावधान की रकम को उसके वर्तमान मूल्य के लिए घटाया नहीं जाएगा।

13. आस्ति और संबंधित आय के रूप में मान्यताप्राप्त रकम, पूर्व वर्ष के अंत में वर्तमान बाध्यता के निपटारे के लिए अपेक्षित व्यय का सर्वोत्तम प्राक्कलन होगी। किसी प्रावधान की रकम को उसके वर्तमान मूल्य के लिए घटाया नहीं जाएगा।

प्रतिपूर्तियाँ

14. जहां किसी प्रावधान के परिनिर्धारण के लिए अपेक्षित कुछ या सभी व्ययों की किसी अन्य पक्षकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है वहां प्रतिपूर्ति को तब मान्यता दी जाएगी तब जब युक्तियुक्त रूप से यह निश्चित हो जाता है कि यदि व्यक्ति

बाध्यताओं का परिनिर्धारण कर लेता है तो प्रतिपूर्ति का पुनरीक्षण किया जाएगा। प्रतिपूर्ति के लिए मान्यताप्राप्त रकम प्रावधान की रकम से अधिक नहीं होगी।

15. जहां कोई उस दशा में, जिसमें अन्य पक्षकार संदाय करने में असफल रहता है, लागतों का संदाय करने के लिए दायी नहीं है, वहां उन लागतों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा।

16. ऐसा दायित्व, जिनके लिए कोई व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से दायी है, उस सीमा तक समाश्रित दायित्व होगा, जहां तक यह प्रत्याशित है कि दायित्व का परिनिर्धारण अन्य पक्षकारों द्वारा किया जाएगा।

पुनर्विलोकन

17. प्रावधानों का पुनर्विलोकन प्रत्येक पूर्व वर्ष के अंत में किया जाएगा और उसे अद्यतन सर्वोत्तम प्राक्कलन में प्रतिबिम्बित किया जाएगा। यदि यह अब युक्तियुक्त रूप से निश्चित नहीं है कि ऐसे संसाधनों के, जिसमें आर्थिक फायदा सन्निविष्ट है, प्रवाह के लिए बाध्यता का परिनिर्धारण अपेक्षित होगा, वहां ऐसा प्रावधान प्रतिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

18. पैरा 11 में यथाउपबंधित मान्यताप्राप्त कोई आस्ति और संबंधित आय का प्रत्येक पूर्व वर्ष के अंत में पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन सर्वोत्तम प्राक्कलन में प्रतिबिम्बित किया जाएगा यदि अब यह युक्तियुक्त रूप से निश्चित नहीं है कि फायदों का प्रवाह उद्भूत होगा तो आस्ति और संबंधित आय प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

उपबंधों का उपयोग

19. प्रावधान का उपयोग केवल ऐसे व्यय के लिए किया जाएगा, जिसके लिए प्रावधान को मूल रूप से मान्यता दी गई थी।

संक्रमणकालीन प्रावधान

20. सभी उपबंधों या आस्तियों और संबंधित आय को, 31 मार्च, 2016 को या उसके पहले समाप्त होने वाले किसी पूर्व वर्ष में उसी के लिए मान्यताप्राप्त रकम को, यदि कोई हो, हिसाब में लेने के पश्चात इस मानक के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात प्रारंभ होने वाले पूर्व वर्ष के लिए मान्यता दी जाएगी।

प्रकटीकरण

21.(1) प्रावधान के प्रत्येक वर्ग के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरण किया जाएगा, अर्थात्—

(क) बाध्यता की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण;

(ख) पूर्व वर्ष के आरंभ और अंत में धारित रकम;

(ग) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान, जिसके अंतर्गत विद्यमान प्रावधानों को बढ़ाना भी है;

(घ) उपयोग की गई रकम, जो पूर्व वर्ष के दौरान प्रावधानों के विरुद्ध उपगत और भारित है;

(ङ.) पूर्व वर्ष के दौरान पुनरीक्षित अनुप्रयुक्त रकम और हुए किसी प्रत्याशित प्रतिपूर्ति की रकम, जो उस प्रत्याशित प्रतिपूर्ति के लिए मान्यताप्राप्त है।

(च) किसी भावी प्रतिपूर्ति की धनराशि जिसमें किसी ऐसी परिसंपत्ति की धनराशि बताई गई हो जिसे उस भावी प्रतिपूर्ति के लिए मान्यता प्राप्त है।

21.(2) पैरा 11 में यथाउपबंधित मान्यताप्राप्त आस्ति के प्रत्येक वर्ग और संबंधित आय के संबंध में निम्नलिखित प्रकटन किया जाएगा, अर्थात्—

(क) आस्ति और संबंधित आय की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण;

(ख) पूर्व वर्ष के आरंभ और अंत में आस्ति की धारित रकम;

(ग) वर्ष के दौरान आस्ति और संबंधित आय की अतिरिक्त रकम, जिसके अंतर्गत पहले से मान्यताप्राप्त आस्तियों और संबंधित आय का बढ़ाया जाना भी है; और

(घ) पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिवर्तित आस्ति और संबंधित आय की रकम।

[अधिसूचना सं. 87/2016/फा. स.133/23/2015-टीपीएल]

पीतांबर दास, निदेशक (कर नीति एवं विधायन)